न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–136/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/136)

1. मंगल सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत निवासी राजपूतों का बास, ग्राम धौलपुरिया तहसील अंराई जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. फतेह सिंह पुत्र सज्जन सिंह
2. उम्मेसिंह पुत्र सज्जन सिंह
3. जब्बर सिंह पुत्र सज्जन सिंह
4. शैतान सिंह पुत्र सजजन सिंह
5. हरिसिंह पुत्र सज्जन सिंह सभी जाति राजपूत निवासी राजपूतों का बास, ग्राम धोलपुरिया तहसील अंराई जिला अजमेर।
6. बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रवन्धक कटसूरा जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अंराई जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2023 उपखण्ड अधिकारी,अंराई राजस्व वाद संख्या 50/2022.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री कुश सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 07.
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–29.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अंराई द्वारा प्रकरण संख्या 50/2022 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा एक राजस्व वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अंराई के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धौलपुरिया तहसील अंराई जिला अजमेर में अवस्थित वर्तमान खाता संख्या 57 खसरा नम्बर 171, 353, 354, 475, 593, 594,770/264, 772/265, 787/345 कुल किता 9 कुल रकबा 13.7208 है0 तथा खाता संख्या 55 के खसरा नम्बर 264, 310, 345, 355, 356, 357, 358, 359, 361 कुल किता 9 कुल रकबा 11.6947 है0 तथा खाता संख्या 258 के खसरा नम्बर 263,213, 316, 317,318, 346, 346/690, 362, 786/345 कुल किता 9 कुल रकबा 11.5455

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

है0 तथा खाता संख्या 259 के खसरा नम्बर 619 कुल रकबा 1.3106 है0 वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आज दिनांक तक किसी प्रकार से बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है एवं वादग्रस्त आराजीयात बाबत् वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के व्यक्ति होकर सह काश्तकार है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात बाबत् जमाबंदी में अंकित अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति से पाबंद किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा उक्त आश का राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किए। तत्पश्यात् प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 व 05 द्वारा विवादित आराजीयात बाबत् बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किए जाने का जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 03 वर्तमान अपीलांट को उक्त आशय के राजस्व वाद के सम्यक नोटिस तामील नहीं होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 03/ अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर तथा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अमल में लाये वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व को अविधिक रूप से दिनांक 03.03.2023 को प्राथमिक डिक्री किए जाने का आदेश प्रदान किया है। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 स्वयं उपस्थित हुए किन्तु बहस/कथन करने से इंकार किया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई होकर आपस में रिश्तेदार है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 05 के मध्य पूर्व में ही आपसी समझाईश से तथा बडे बुजुर्गो तथा रिश्तेदारों की समझाईश सेपूर्व में ही बंटवारा हो चुका है तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपने पूर्व में किए गए बंटवारे के अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के उपरान्त भी वादी द्वारा उक्त बंटवारों को प्रभावहीन करने के उद्देश्य से उक्त राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त निर्णय दिनांक 03.03.2023 प्राप्त कर लिया है। वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 5 के मध्य पूर्व में बंटवारा हो चुका था तथा वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपने हिस्से में आई अधिक आराजीयात पर कब्जा कर तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपने हिस्से की आराजीयात से अन्य आराजीयात पर जाकर उक्त राजस्व वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजीयात पर मौके पर पक्का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार से वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बबात् समस्त तथ्यों को छिपाते हुए उक्त राजस्व वाद दुर्भावनावश प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 313 रकबा 0.19 है0 पर बलपूर्वक जबरन कब्जा कर उक्त आराजीयात पर उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए स्वयं के द्वारा मकानात निर्माण कर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

लिया है इस प्रकार से वादी द्वारा उक्त राजस्व वाद स्वच्छ हाथों से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर उक्त आदेश दिनांक 03.03.2023 प्राप्त कर लिया है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरांई द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.03.2023 निरस्त किया जाकर अपीलांट को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का आपसी सहमति से बंटवारा हो रखा है व सभी अपनी-अपनी आराजी पर काश्तक करते है परन्तु उसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हो रखा है जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रखी हैं इसलिए उक्त वाद धारा 53, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन बिल्कुल गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 03 की एक पक्षीय कार्यवाही विधि सम्मत नही है तथा उनको जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.08.2022 को प्रतिवादीगण को साधारण नोटिस जारी किये गये थे तथा आदेशिका दिनांक 24.06.2022 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3, व 04 के नोटिस तामील कुलिन्दा की रिपोर्ट अनुसार अन्यत्र रहते है। उसके पश्चात उनके जमाबंदी के अनुसार पते पर नोटिस रजिस्टर एडी जारी किये जाने के आदेश दिनांक 01.07.2022 को किये गये। रजिस्टर्ड नोटिस अदम तामील प्राप्त होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 से 04 के नोटिस अखबार साया करने के आदेश दिये गये थे, नोटिस अखबार साया होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए, किन्तु प्रतिवादी संख्या 03 उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 3, 6 ,7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई थी जो विधि सम्मत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 5 जाप्ता दीवानी के अनुसार प्रथमतः साधारण नोटिस जारी किये तत्पश्चात रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये थे तथा अंत में नोटिस अखबार साया के आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलांट को एकपक्षीय कार्यवाही के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी के तहत् कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2023 को तहसीलदार, अंराई को समस्त खातेदारान की मौजूदगी में कुरेजात रिपोर्ट मुर्तिब कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.03.2023 के अनुसार विवादित आराजीयात का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी बाबत् बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तहसीलदार, अंराई द्वारा कुरेजात तैयार किये गये है तथा पटवारी हल्का एवं तहसीलदार द्वारा कुरेजात रिपोर्ट तैयार करते हुए समय अपीलांट मंगल सिंह मौके पर स्वयं उपस्थित थें किन्तु मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। अपीलांट द्वारा मौके पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है इसलिए खारिज फरमायी जावें।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात बाबत् एक राजस्व वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 21.06.2022 को प्रस्तुत हुआ। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2022 को प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड एडी नोटिस के तामील किये जाने आदेश प्रदान किये उसी अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07. 2022 को अखबार साया नोटिस जारी किये के आदेश प्रदान किये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 5 की ओर से अपना जवाब प्रस्तुत किया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 3, 6,7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर उक्त पत्रावली बाबत् दिनांक 03.03.2023 को उनके समक्ष लंबित राजस्व वाद को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान कर दिये उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया कि अपीलांट को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस जो कि एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में सगे भाई है के मध्य पूर्व में अपनी माता के जीवनकाल में ही बंटवारा हो चुका है तथा एवं अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस अपने अपने–हिस्से में आयी आराजीयात बाबत् मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 3.03.2023 को सम्पूर्ण आराजीयात बाबत् बाई मीटस एण्ड बाउण्ड द्वारा बंटवारा कर दिया गया है जिससे मौके पर विवादित की स्थिति बनी हुई है तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक खातेदार के मौके पर कब्जे अनुसार या कब्जे के आधार पर प्राथमिकता प्रदान करते हुए वादग्रस्त आराजीयात बाबत् बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवारा किया जावें। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 आपस में एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में सगे भाई है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस के मध्य पूर्व में बंटवारा हो चुका है तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस अपने–अपने हिस्से पर मौके पर काबिज चले आ रहे है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवारा किये जाने का आदेश प्रदान किया है जबकि अपीलांट व रेस्पोडेन्टस के मध्य पूर्व में बंटवारा हो चुका है। अपीलांट व रेस्पोडेन्टस अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है इस प्रकार से न्यायहित में सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देशित किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 के कब्जे काश्त को प्राथमिकता प्रदान करते हुए वादग्रस्त आराजी बाबत् अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 5 का राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा उपरोक्तानुसार उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष को आपत्तिया प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर तथा उक्त आपत्तिया प्रस्तुत होने

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पर उक्त आपत्तियों का समुचित रूप से निस्तारण कर अंतिम डिक्री पारित करें। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरांई के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2023 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्तानुसार प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरांई के द्वारा वाद संख्या 50/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सम्बन्धित तहसीलदार को निर्देशित किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 के कब्जे काश्त को प्राथमिकता प्रदान करते हुए वादग्रस्त आराजी बाबत् अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 5 का राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा उपरोक्तानुसार उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष को आपत्तिया प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर तथा उक्त आपत्तिया प्रस्तुत होने पर उक्त आपत्तियों का समुचित रूप से निस्तारण कर अंतिम डिक्री पारित करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner